

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग
मुनरिका, नई दिल्ली-110 067

CICOM/A/P/20/00099
CICOM/R/P/20/00348

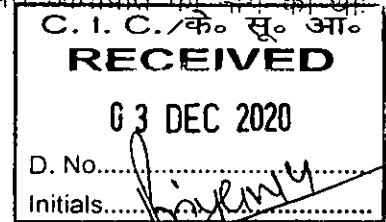
अपीलकर्ता का नाम : श्री विनोद कुमार मिश्र
पिता- स्व० श्रीनाथ मिश्र
पोस्ट बॉक्स नंबर-आर.बी.जे. 01,
मुख्य डाकघर - राबर्ट्सगंज, जनपद-सोनभद्र,
उत्तर प्रदेश। पिन-131 216

1.	आरटीआई आवेदन की तिथि	06.08.2020
2.	सीपीआईओ के जवाब की तिथि	04.09.2020
3.	सीपीआईओ का विवरण	श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई सेल।
4.	प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील प्राप्ति की तिथि	03.11.2020
5.	निर्णय की तिथि	01.12.2020

वाद का संक्षिप्त विवरण :-

1. प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आरटीआई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित 4 द्वितीय अपीलों के संदर्भ में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित निर्णय की सत्यापित प्रमाणित प्रतियों की मांग की थी-

- 1- CIC/SS/A/2012/002170
- 2- CIC/SM/A/2013/000383
- 3- CIC/SM/A/2013/000388
- 4- CIC/NRAIL/A/2019/110554



केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का जवाब :-

2. प्रार्थी के उक्त आरटीआई आवेदन के संदर्भ में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री राम कुमार, आरटीआई सेल ने दिनांक 04.09.2020 के अपने पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

dc

बिंदु संख्या 1, 2, एवं 3	आपके द्वारा मागी गई आदेश की प्रति तीसरे पक्ष (किसी अन्य आवेदक) के अपीलों के संदर्भ में जारी की गयी है। प्रसंगवश उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in के Decisions में उपलब्ध हैं।
बिंदु संख्या 4	अपील संख्या CIC/NRAIL/A/2019/110554 जोकि तीसरे पक्ष से संबंधित है, के संदर्भ में अभी कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह मामला अभी सुनवाई हेतु लंबित है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. आयोग को प्रेषित अपने प्रथम अपील प्रपत्र में प्रार्थी ने यह अभियोग लगाया है कि उन्हें भ्रामक एवं अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गयी है।

निर्णय :-

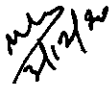
4. प्रथम अपील, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ द्वारा प्रेषित जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से चार द्वितीय अपीलों के संदर्भ में आयोग द्वारा पारित निर्णयों की सत्यापित प्रतियों की मांग की है। तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रथम तीन द्वितीय अपीलों आयोग द्वारा निस्तारित कर दी गयी हैं और संबंधित निर्णय आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाम धर्मेन्द्र कुमार गर्ग (रिट याचिका संख्या 11271 /2009 दिनांक 01.06.2012) मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि एक बार सूचना जब लोक प्रक्षेत्र में और वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाती है, वह सूचना उस लोक प्राधिकारी द्वारा धारित अथवा उसके नियंत्रणाधीन नहीं होगी और इस प्रकार 'सूचना का अधिकार अधिनियम' के अंतर्गत सुलभ नहीं होगी। प्रार्थी यदि चाहें उक्त निर्णयों की प्रतियां वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

जहां तक प्रार्थी द्वारा इंगित चौथे द्वितीय अपील संख्या CIC/NRAIL/A/2019/110554 का प्रश्न है, प्रस्तुत मामले में आयोग का निर्णय लंबित है। अतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अनुसार तथ्यात्मक है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि प्रार्थी उपरोक्त निर्णय से असंतुष्ट हैं, वे चाहें तो प्रस्तुत निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110 067 के समक्ष प्रस्तुत निर्णय की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक 01 दिसंबर, 2020



(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष: 26162290

प्रतिलिपि :-

1. श्री राम कुमार, सीपीआईओ, आरटीआई सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।